भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. 327
12 अगस्त, 2025 को उत्तरार्थ

विषय: ड्रिप सिंचाई के लिए सहायता
***327. श्री धैर्यशील संभाजीराव माणेः**
क्या **कृषि और किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) क्या हातकणंगले में किन्हीं गन्ना संकुलों को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) के 'प्रति बूंद अधिक फसल' संघटक के अंतर्गत ड्रिप सिंचाई प्रणाली के लिए सहायता प्राप्त हुई है;
(ख) विगत दो वर्षों के दौरान सूक्ष्म सिंचाई के अंतर्गत कुल कितने एकड़ भूमि को शामिल किया गया और इसके लिए कितनी राजसहायता संवितरित की गई; और
(ग) क्या सूखा प्रवण तालुकों के लिए शत-प्रतिशत राजसहायता मॉडल विचाराधीन है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

<u>उत्तर</u>
<u>कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान)</u>

(क) से (ग): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

"ड्रिप सिंचाई के लिए सहायता" के संदर्भ में लोकसभा में दिनांक 12 अगस्त, 2025 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 327 के भाग (क) से (ग) के संबंध में उल्लिखित विवरण।

(क): महाराष्ट्र राज्य सरकार से प्राप्त जानकारी के अनुसार, महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले के हातकणंगले तालुक में किसी भी गन्ना उगाने वाले किसान समूह को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना - प्रति बूंद अधिक फसल (पीएम-आरकेवीवाई-पीडीएमसी) के अंतर्गत सहायता प्रदान नहीं की गई है। हालाँकि, हातकणंगले तालुका में पीएम-आरकेवीवाई-पीडीएमसी के माध्यम से 661 किसानों को 194.70 लाख रुपये की वित्तीय सहायता दी गई है। इसमें सूक्ष्म सिंचाई के अंतर्गत 401.2 हेक्टेयर गन्ना क्षेत्र को कवर किया गया है।

(ख): पीएम-आरकेवीवाई-पीडीएमसी योजना के अंतर्गत, सूक्ष्म सिंचाई पद्धतियों की स्थापना के लिए लघु एवं सीमांत किसानों और अन्य किसानों को क्रमशः इकाई लागत की क्रमशः 55% और 45% वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। महाराष्ट्र राज्य सहित कुछ अन्य राज्य, किसानों को सूक्ष्म सिंचाई अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु इस योजना के अंतर्गत उपलब्ध सब्सिडी के अतिरिक्त टॉप-अप सब्सिडी भी प्रदान कर रहे हैं। लाभार्थी को 5 हेक्टेयर तक के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध है। लाभार्थी 7 वर्ष की अवधि के बाद उसी भूमि के लिए पुन: सब्सिडी के लिए पात्र होगा। पिछले दो वर्षों के दौरान, देश में सूक्ष्म सिंचाई के अंतर्गत कवर किए गए क्षेत्र और प्रदान की गई केंद्रीय सहायता का विवरण इस प्रकार है:

वित्तीय वर्ष	**सूक्ष्म सिंचाई के अंतर्गत कवर किया गया क्षेत्र (लाख हेक्टेयर)**	**जारी की गई केंद्रीय सहायता (करोड़ रुपये में)**
2023-24	11.40	2103.50
2024-25	11.19	2793.37
कुल	22.59	4896.87

(ग): सूखाग्रस्त तालुकों में 100 प्रतिशत सब्सिडी का वर्तमान में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

*****